

मध्य प्रदेश शासन  
गृह (पारपत्र) विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ 3 (ए) 04/1995/ए-1/दो  
प्रति,

भोपाल दिनांक 21 / 1 / 2019

✓ पुलिस अधीक्षक,  
जिला-भोपाल  
(म0प्र0)

विषय:- निवास वृद्धि पाक नागरिकों गौरी बाई पुत्री श्रीचंदलाल 2. श्रीमती अम्बीबाई पत्नी श्रीचंदलाल निवासी जिला भोपाल।  
संदर्भ:- आपका विशेष शाखा को संबोधित ज्ञापन क्रमांक जिविशा/भो/पाक /2013-20 (एलटीवी-302), दिनांक 25.01.2016,12.06.2018,

—00—

पाक नागरिकों गौरी बाई पुत्री श्रीचंदलाल 2. श्रीमती अम्बीबाई पत्नी श्रीचंदलाल को दि.23.12.2011 से दिनांक 22.12.2013 तक एवं दि.23.12.2013 से 22.12.2015 तक तथा 23.12.2015 से 22.12.2017 तक व दिनांक 23.12.2017 से 22.12.2019 तक अच्छे व्यवहार के आधार पर भोपाल (म.प्र.) में रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2/ उपरोक्तानुसार ही उनका आर0पी0 पृष्ठांकित किया जाकर, चेकपोस्ट को सूचना दी जाये। अगली अवधि के आवेदन पत्र भेजते समय राज्य शासन के इसी संदर्भ का उल्लेख करें।

(श्रीदास)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पारपत्र) विभाग

पृ0 क्रमांक एफ-3(ए)04/1995/ए-1/दो  
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक / / 2019

- 1 सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा (सुरक्षा) भोपाल, की ओर उनके पत्र क्रमांक विशा/15/पाक/2013,16,18-20(1562,1577,85,86,264,265,285778,)दि.04.05.2013,05.05.2013,06.01.2014,10.02.2016,17.07.2018,27.09.2018के संदर्भ में सूचनार्थ।
- 2 आवेदक गौरी बाई पुत्री श्रीचंदलाल निवासी 19विहान्ड बाटर टैंक गौंधी नगर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित
3. फोल्डर प्रति।

अवर/सचिव

मध्यप्रदेश शासन गृह(पारपत्र) विभाग